



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 170 राँची, सोमवार,

20 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

4 मार्च, 2023

संख्या--5/आरोप-1-16/2022-19425 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि डॉ० सुदेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-415/20, गृह जिला-देवघर) तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के विरुद्ध जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने में झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2017 की कंडिका-10 (vi) एवं (viii) का उल्लंघन करने एवं नियम विरुद्ध अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी आरोप, जैसा कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1022, दिनांक 07.04.2022 द्वारा गठित आरोप-पत्र (प्रपत्र-'क') में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः डॉ० कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा डॉ० कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. डॉ० कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. डॉ० कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री लालो प्रसाद कुशवाहा, अवर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUDESH KUMAR JHK/JAS/290	डॉ० सुदेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-415/20, गृह जिला-देवघर) तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह संप्रति-कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-जिला नजारत उप समाहर्ता गिरिडीह के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) डॉ० सुदेश कुमार, झा०प्र०से० एवं श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के अवर सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
